भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2297 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026/9 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है

स्वदेशी कंटेनर विनिर्माण तथा अंतर्देशीय जलमार्गों का विस्तार

†2297. श्री देवुसिंह चौहान:

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2026 में भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय निर्यात-आयात (एक्जिम) शिपिंग कंटेनरों के उत्पादन को सुगम बनाकर स्वदेशी कंटेनर विनिर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है;
(ख) घरेलू शिपिंग कंटेनर विनिर्माण को सहायता प्रदान करने तथा इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए तैयार की गई उत्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) ढांचे का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार नए अंतर्देशीय संपर्क मार्गों के परिचालन सहित राष्ट्रीय जलमार्गों के विस्तार पर विचार कर रही है; और
(घ) समुद्री क्षेत्र में विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के संबंध में सरकार की कार्ययोजना क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): एक वैश्विक नौवहन कंपनी द्वारा एक भारतीय कंटेनर निर्माता को शिपिंग कंटेनर का एक ऑर्डर दिया गया था। घरेलू स्तर पर निर्मित प्रोटोटाइप कंटेनर का अनावरण दिनांक 03.07.2026 को दादरी, उत्तर प्रदेश में किया गया था। शिपिंग कंटेनर का उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) विनिर्देशों और सुरक्षित कंटेनरों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (सीएससी) सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुसार किया जाता है।

(ख): सरकार ने बजट भाषण 2026-27 में देश में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंटेनर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के सृजन के उद्देश्य से 10,000 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ भारत में कंटेनर विनिर्माण के लिए एक योजना की घोषणा की है।

(ग): केंद्रीय बजट 2026 में कुल 111 घोषित जलमार्गों के नेटवर्क में से कार्गो/यात्री आवाजाही के लिए पहले से ही प्रचालित 32 राष्ट्रीय जलमार्गों के आधार पर, आगामी पांच वर्षों में 19 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को प्रचालित करने की योजनाओं की घोषणा की थी।

(घ): सरकार द्वारा घरेलू पोतनिर्माण क्षमता, समुद्री वित्तपोषण, शिपयार्ड विकास, कौशल विकास और सुधारों को सुदृढ़ करने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के एक व्यापक पैकेज को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस पैकेज के प्रमुख घटकों में शामिल हैं:

i. वैश्विक शिपयार्डों की तुलना में भारतीय शिपयार्डों की लागत संबंधी कमियों को दूर करने के लिए ₹24,736 करोड़ के परिव्यय के साथ पोतनिर्माण वित्तीय सहायता नीति (एसबीएफएपी) के विस्तार के रूप में पोतनिर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफएएस);
ii. पोत निर्माण और समुद्री क्षेत्र को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 25,000 करोड़ रुपये का समुद्री विकास निधि (एमडीएफ) कॉर्पस जिसमें 20,000 करोड़ रुपये की समुद्रीय निवेश निधि (एमआईएफ) और 5,000 करोड़ रुपये की ब्याज प्रोत्साहन निधि (आईआईएफ) शामिल है;
iii. ग्रीनफील्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टर संस्थापित करके और मौजूदा शिपयार्डों की क्षमता का विस्तार करके भारतीय पोत निर्माण उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु ₹19,989 करोड़ के परिव्यय के साथ पोत निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस)

इसके अतिरिक्त, पोत निर्माण उद्योग में 6.4 के उच्च रोजगार गुणक को देखते हुए, इन योजनाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों प्रकार के रोजगार शामिल करते हुए लगभग 2.2 मिलियन (22 लाख) रोजगार सृजन की क्षमता है।
